



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति विजय कुमार श्रीवास्तव

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 168/2004

**याचिकाकर्ता:**

जितेंद्र सिंह प्रधान, पुत्र मोहनलाल प्रधान, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी वार्ड क्र. 6, बेहर गली, बड़ेमठ पारा, सारंगढ़, जिला रायगढ़, छ.ग. ।

**विरुद्ध**

**प्रत्यर्थागण :**

- 1) आम जनता, जिसका वर्तमान प्रकरण से सरोकार है।
- 2) दसोदा, पति गोपाल वर्मा, निवासी ग्राम मुगेश्वर, पुलिस थाना मंदिर हसौद, जिला रायपुर, छ.ग. वर्तमान में निवासी ग्राम धोराघाटी, पुलिस थाना एवं तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)।

**उपस्थित:**

श्री एच.एस. पटेल, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्रीमती माया दुबे, प्रत्यर्थी की अधिवक्ता।

**आदेश**

**(दिनांक 17/01/2006)**

यह भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (संक्षेप में, "अधिनियम") की धारा 388

(3) के अधीन प्रस्तुत एक पुनरीक्षण है जो जिला न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा विविध



सिविल अपील क्र. 2/2004 और 3/2004 में अधिनियम की धारा 384 के अधीन प्रस्तुत पारित आदेश दिनांक 09/09/2004 के विरुद्ध है, जिसके द्वारा जितेंद्र सिंह प्रधान द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त कर दिया गया है और दसोदा बाई द्वारा प्रस्तुत अपील को उनके द्वारा अपेक्षित न्यायालय शुल्क जमा करने पर उनके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश के साथ स्वीकार कर लिया गया है।

2) रेशमलाल प्रधान शासकीय सेवा में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, जिनकी सेवा के दौरान दिनांक 6/5/2001 को मृत्यु हो गई। भतीजे जितेंद्र सिंह ने मृतक रेशमलाल द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान उसके पक्ष में निष्पादित अंतिम वसीयत दिनांक 11/04/1994 के आधार पर अपने पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु

अधिनियम की धारा 372 के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र रेशमलाल की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु के परिणामस्वरूप उद्भूत होने वाले लाभ प्राप्त करने के लिए चाहा गया था। इस आवेदन का दसोदा बाई द्वारा विरोध किया गया।

उन्होंने भी अधिनियम की धारा 372 के अधीन अपने पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु इस आधार पर एक आवेदन प्रस्तुत किया कि उनका विवाह 01/10/1998 को रेशमलाल से हुआ था और रेशमलाल की विधिक रूप से विवाहित पत्नी होने के नाते केवल वे ही अपने पति रेशमलाल की मृत्यु के परिणामस्वरूप उद्भूत सभी संपत्तियों और लाभों को विरासत में प्राप्त करने की हकदार हैं



3) दोनों पक्षकारों ने अपने प्रकरण के समर्थन में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए।

4) व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 1, रायगढ़ ने साक्ष्य के मूल्यांकन के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि आवेदक जितेंद्र सिंह ने इस प्रकरण में रेशमलाल के सभी उत्तराधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाया, अतः, उसके पक्ष में वसीयत के निष्पादन के प्रश्न पर निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। विद्वान न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि दसोदा बाई रेशमलाल की विधिक रूप से विवाहित पत्नी है, यह सिद्ध नहीं हुआ है। अतएव, याचिकाकर्ता जितेंद्र सिंह और प्रत्यर्थी दसोदा बाई द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने की प्रार्थना को न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 20/11/2003 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया है। उस आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी क्र. 2 दोनों ने सिविल अपील क्र. 2/2004 और 3/2004 के नाम से अलग-अलग अपीलें प्रस्तुत कीं। विद्वान जिला न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश दिनांक 09/09/2004 द्वारा दोनों अपीलों का विनिश्चय किया। विद्वान जिला न्यायाधीश ने यद्यपि वसीयत पर अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष की पुष्टि की, परंतु इस बात से असहमत हुए कि दसोदा बाई रेशमलाल की पत्नी नहीं है इसके बजाय यह अभिनिर्धारित किया कि दसोदा बाई रेशमलाल की पत्नी है जो शासकीय अभिलेखों में नामिती है, अतः, याचिकाकर्ता जितेंद्र सिंह द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त कर दिया और प्रत्यर्थी क्र. 2 दसोदा बाई द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर लिया।





5) दसोदा बाई (अनावेदक साक्षी/1) ने अपने कथन में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसका विवाह हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार रेशमलाल के साथ हुआ था। उसने अपने कथन में अपने विवाह में संपन्न किए गए सभी रीति-रिवाजों का वर्णन किया है। हड़िप्पा दास (अनावेदक साक्षी/2) ने रेशमलाल और दसोदा बाई का विवाह संपन्न कराया था, जिसने अपने कथन में उक्त तथ्य का समर्थन किया। साधराम (अनावेदक साक्षी/3) ने इस तथ्य की संपुष्टि की कि दसोदा बाई का विवाह रेशमलाल से हुआ था। अनावेदकों के सभी साक्ष्यों को नानकी बाई (आवेदक साक्षी/5) के साक्ष्य से समर्थन मिलता है। आवेदक की साक्षी जिसने अपने कथन में यह स्वीकार किया है कि दसोदा बाई रेशमलाल के साथ उसके गाँव आई थी। दसोदा बाई रेशमलाल के साथ रह रही थी। उसने दसोदा बाई के पिता को भी रेशमलाल के घर में देखा है। यहां तक कि जितेंद्र सिंह (आवेदक साक्षी/1) जो आवेदक है, ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि रेशमलाल और दसोदा बाई दिनांक 01/10/1998 से पति और पत्नी के रूप में रह रहे थे, परंतु उसकी जानकारी के अनुसार दसोदा बाई रेशमलाल के नौकर के रूप में रह रही थी। आवेदक और उसके साक्षियों के साक्ष्य से, यह स्पष्ट है कि दसोदा बाई रेशमलाल के साहचर्य में रह रही थी और यह तथ्य दसोदा बाई के साथ रेशमलाल के विवाह के संबंध में दसोदा बाई और उसके अन्य साक्षियों के साक्ष्य का समर्थन करता है। प्रदर्श अनावेदक/3-सी और प्रदर्श अनावेदक/4-सी ग्राम पंचायत द्वारा जारी परिवार कार्ड है। रेशमलाल ने इस कार्ड में



अपने हस्ताक्षर के अधीन दसोदा बाई को अपनी पत्नी घोषित किया है। प्रदर्श 7-सी मतदाता सूची है। यह एक लोक दस्तावेज़ है। यह प्रविष्टि भी दसोदा बाई को रेशमलाल की पत्नी के रूप में इंगित करती है। प्रदर्श अनावेदक क्र. 11, 12, 12-ए, 13 रेशमलाल द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान निष्पादित नामांकन के दस्तावेज़ हैं। इन सभी दस्तावेज़ों में रेशमलाल ने दसोदा बाई को अपनी पत्नी घोषित किया है। रेशमलाल और दसोदा बाई के संबंध को स्थापित करने के लिए ये सभी दस्तावेज़ सुसंगत और ग्राह्य हैं और ये सभी दस्तावेज़ इस तथ्य का समर्थन करते हैं कि दसोदा बाई का विवाह रेशमलाल से हुआ था।

6) यह स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि जब दसोदा बाई का विवाह रेशमलाल से हुआ था तब उसका कोई जीवित जीवनसाथी था और न ही इस बात का कोई प्रमाण है कि रेशमलाल के साथ विवाह करने से पूर्व उसका किसी अन्य व्यक्ति से विवाह हुआ था। इस बात का समर्थन करने के लिए प्रचुर साक्ष्य हैं कि दसोदा बाई रेशमलाल की विधिक रूप से विवाहित पत्नी है और विवाह दिनांक 01/10/1998 को हुआ था। उसके विवाह से पूर्व याचिकाकर्ता जितेंद्र सिंह के पक्ष में वसीयत के निष्पादन का विनिश्चय दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा ठोस कारणों के आधार पर नहीं किया गया है। अतएव, इन परिस्थितियों में, दसोदा बाई के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।



7) परिणामस्वरूप, पुनरीक्षण गुणदोष रहित है, अतः, इसे निरस्त किया जाता है।

पक्षकार अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

सही/-  
वी.के. श्रीवास्तव  
न्यायाधीश

====0000====

**(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)**

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

